फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

ओमप्रकाश बनाम **बनवारी**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 139 सन–2022

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
27.06.2022	प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 05.08.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
27/6	पक्षकार सायल उपस्थित गैरसायल हाजर। श्री भारी सं भरतसिंह अधिवक्ता उ व भगवान पुत्र किशा शगिर्द मिसल किशा उभयपक्ष का सुना गया। अर्थ पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष राजस्व रिकार्ड में पत्रावली पत्रावली आमखास की तो उभयपक्ष का विवाद दाग पक्का की भूमि के मध्य खड़े वृक्षों को काटने से सम्बन्धित है। अतः उभयपक्षों का पावन किया गया तो राही मौजा चक 8KNM के खसरा 103/57 की 0.6040 है. व खसरा संख्या 57/56 की कुल 0.7300 है. भूमि की पैमाईश सीमाभाग के दिशा मानी के नहीं है। जाप्ता कर स्थल पर खड़े हरे वृक्ष को नहीं काटा गया है। वृक्षों को काटने से निषेध किया गया है। पत्रावली निस्तारण योग्य है।	

Scanned with CamScanner